बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग

5, हार्डिंग रोड, पटना–800001

(वेबसाईट https://bpssc.bihar.gov.in)

संदर्भः विज्ञापन संख्या–01/2025

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध के पद पर चयन हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध की 28 (अठाईस) रिक्ति के विरूद्ध सीधी भर्ती हेतु दिनांक–24.02.2025 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या–01/2025 के क्रम में प्रारंभिक लिखित परीक्षा दिनांक–18.05.2025 को तथा मुख्य लिखित परीक्षा दिनांक–31.08.2025 (रविवार) को आयोजित की गयी थी।

(2) मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों का शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन दिनांक–22.12.2025 को शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय (पटना हाई स्कूल), गर्दनीबाग, पटना–800002 के परिसर में आयोजित किया गया। शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा के लिए पात्र कुल–168 अभ्यर्थियों में से 151 अभ्यर्थी उपस्थित हुए तथा 17 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

(3) शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा के दौरान विभिन्न चरणों में निम्नलिखित कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत हैः

क्र0सं0	अयोग्य होने का कारण	अभ्यर्थियों की संख्या
1	दौड़ में असफल	39
2	अन्य स्पर्धा एवं शारीरिक जाँच–माप में असफल	16
3	दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य	01
योग		**56**

(4) शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा, शैक्षणिक योग्यता, आयु तथा आरक्षण आदि अहर्ता रखने वाले कुल–95 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयन हेतु विचार के योग्य पाये गये।

(5) मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–7/स्था0–(अ0नि0)–01–01/2024–5086 अनु0 दिनांक–06.12.2024 द्वारा प्राप्त अधियाचना के अनुसार अवर निरीक्षक मद्य निषेध की 28 (अठाईस) रिक्तियों का विवरण निम्नवत् हैः–

अवर निरीक्षक मद्य निषेध पद की रिक्तियों का विवरणः

क्र0सं0	आरक्षण/कोटि	पदों की कुल संख्या	महिला (35% आरक्षण के अधीन)
1.	अनारक्षित (1)	12 (बारह)	04 (चार)
2.	अनुसूचित जाति (02)	04 (चार)	01 (एक)
3.	अनुसूचित जनजाति (03)	00 (शुन्य)	00 (शुन्य)
4.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	05 (पाँच)	02 (दो)
5.	पिछड़ा वर्ग (05)	03 (तीन)	01 (एक)
6.	पिछड़े वर्ग की महिला (06)	01 (एक)	NA
7.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (07)	03 (तीन)	01 (एक)
	योग–	**28 (अठाईस)**	**09 (नौ)**

(ii)

01	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए आरक्षित (2%) के तहत कुल पदों की संख्या	शुन्य

(6) बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) अधिसूचना संख्या–4/B1-101/2004-7025 दिनांक–30.08.2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं अधिसूचना संख्या–6455 दिनांक–07.08.2019 तदनुरूप बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या–01/2025 तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–7/स्था0–(अ0नि0)–01-01/2024-5086 अनु0 दिनांक–06.12.2024 द्वारा प्राप्त अधियाचना की शर्तो के अधीन शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा में सफल एवं अन्य वांछित अहर्ता प्राप्त तथा मुख्य लिखित परीक्षा में न्यूनतम अहर्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा क्रमानुसार एवं आरक्षण कोटिवार अवर निरीक्षक मद्य निषेध के पद हेतु चयन किया जा रहा है।

(7) अवर निरीक्षक मद्य निषेध पद की 28 (अठाईस)) रिक्तियों के विरूद्ध अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत् हैः

श्रेणी/कोटि	अनारक्षित (सामान्य)			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			अनुसूचित जाति			अत्यंत पिछड़ा वर्ग			पिछड़ा वर्ग			पिछड़े वर्गो की महिलाएँ
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	
मूल रिक्ति 28	08	04	12	02	01	03	03	01	04	03	02	05	02	01	03	01
चयनित	08	04	12	02	01	03	03	01	04	03	02	05	02	01	03	01
कुल चयनित	08	04	12	02	01	03	03	01	04	03	02	05	02	01	03	01
शेष रिक्ति	शून्य															
कुल चयनित योग–28																

- अवर निरीक्षक मद्य निषेध पद की 28 (अठाईस) रिक्तियों के विरूद्ध 18 पुरूष एवं 10 महिला अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।
- अवर निरीक्षक मद्य निषेध पद की सभी कोटि की सभी रिक्तियाँ भरी गयी।

(8) विभिन्न आरक्षण कोटियों का Cut-off Marks निम्नवत हैः

		अवर निरीक्षक मद्य निषेध			
क्र0 सं0	**श्रेणी/कोटि**	**पुरूष**		**महिला**	
		Cut off Marks	DOB	Cut off Marks	DOB
1	अनारक्षित (सामान्य)	167.0	(25/02/2000)	160.4	(15/01/2003)
2	अनुसूचित जाति	156.4	(11/04/2001)	138.4	(25/06/1998)
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	160.4	(01/02/1999)	158.2	(04/08/2001)
4	पिछड़ा वर्ग	164.8	(19/12/1996)	151.6	(04/01/1996)
5	पिछड़े वर्गों की महिला			158.2	(15/01/2002)
6	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	160.8	(01/01/2003)	156.0	(06/06/1997)

(9) मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध की रिक्तियों के विरूद्ध चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक निम्नवत् हैः

कृपया इसे मेधा सूची न समझें।

1814010027, 1814010062, 1814010120, 1814010130, 1814010169, 1814010171, 1814010181, 1814010250, 1814010293, 1814010312, 1814010324, 1814010345, 1814010349, 1814010355, 1814010359, 1814010366, 1814010427, 1814010443, 1814010455, 1814010468, 1814010475, 1814010485, 1814010492, 1814010500, 1814010518, 1814010531, 1814010540, 1814010550

(10) **<u>अभ्यर्थियों की अहर्ता, शिक्षा तथा चरित्र सत्यापन एवं पहचानः</u>–** नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण एवं अहर्ता संबंधी अन्य अभिलेखों के साथ–साथ चरित्र सत्यापन नियमानुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएँगे। किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित किए जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

(11) **<u>चिकित्सीय परीक्षण</u>**ः– नियुक्ति के पूर्व नियमानुसार चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य पाए गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

(12) अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को प्रेषित की जा रही है।

(13) **योगदानः–** (a) योगदान के संबंध में अग्रेतर निर्देश नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा निर्गत किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से योगदान करना होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। अवर निरीक्षक मद्य निषेध के लिए नियुक्ति प्राधिकार आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना हैं। नियुक्ति प्राधिकार योगदान करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में आयोग को परिणामी प्रतिवेदन समर्पित करने का कष्ट करेंगे।

(b) चयनित अभ्यर्थी सुसंगत मूल प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों यथा– (i) वैध फोटोयुक्त पहचान–पत्र जैसे– मतदाता पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि, (ii) स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, (iii) जन्म तिथि का प्रमाण–पत्र (मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति), (iv) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए)। महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) का जाति प्रमाण–पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा, (v) क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण–पत्र (पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)। क्रीमीलेयर रहित (NCL) प्रमाण–पत्र, महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) का क्रीमीलेयर प्रमाण–पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा, (vi) बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण–पत्र (सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए), (vii) बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का

सदस्य (यदि लागू हो तो) होने संबंधी वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय के आधार पर निर्गत प्रमाण-पत्र, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26 फरवरी, 2019 (गजट संख्या- 284) के द्वारा विहित प्रपत्र में (viii) बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो) एवं (ix) भूतपूर्व सैनिक पी0पी0ओ0 एवं डिस्चार्ज बुक (यदि लागू हो तो) आदि संबंधित विभाग में व्यक्तिगत रूप से योगदान के समय प्रस्तुत करेंगे।

(14) प्रेस में मुद्रण एवं टाईपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

(15) दलालों से सावधान रहें एवं ऐसे संदिग्धों के सम्बन्ध में पुलिस को सूचित करें।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,

पटना।

पत्र संख्याः-बि.पु.अ.से.आ./परीक्षा/01-02/2025-**1048** दिनांक-30.12.2025

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कार्यालय,

5, हार्डिंग रोड, पटना - 800001

प्रतिलिपिः-

1. **अपर मुख्य सचिव,** गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
2. **अपर मुख्य सचिव,** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
3. **सचिव-सह-आयुक्त,** मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,

पटना।